कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़

जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

क्रमांक 129 / स्वा.वि. / न.पा.नि. / 2025 — रायगढ़, दिनांक 20/05/25

–:: रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना ::–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका बधियाकरण एवं एंटी रेबीज टीकाकरण कार्य किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा पशु चिकित्सा कार्य एवं संरक्षण गतिविधियों हेतु पंजीकृत एन.जी.ओ. (गैर सरकारी संगठनों) से मुहर बंद लिफाफा में रूचि की अभिव्यक्ति, दिनांक 09-06-2025 के 4:00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्ताव लिफाफा दिनांक 09-06-2025 को 4:30 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा खोला जायेगा।

प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ पृथक लिफाफा में रूपये 25000/– का टी0डी0आर0 एवं वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इससे संबंधित अन्य शर्ते कार्यालयीन अवधी में नगर पालिक निगम रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अवलोकन अथवा निगम के वेब साईट **http/nagarnigamraigarh.com** से डाऊनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 129 / स्वा.वि / न.पा.नि. / 2025, — रायगढ़ दिनांक 20/05/25

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. जन संपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रादेशिक स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल, नगर पालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. संपादक .... दैनिक समाचार पत्र को उपरोक्तानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित कर भुगतान हेतु देयक के साथ समाचार पत्र की 02 प्रति के साथ प्रस्तुत करने हेतु सूचनार्थ।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.))

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

(आवारा स्वानों के बधियाकरण हेतु नियम एवं शर्तें)

1. मुख्य लिफाफा के अन्दर दो लिफाफा A और B निम्नानुसार दस्तावेज रखा जाना है :–
   A (1) 25000 रूपये का टी0डी0आर0 आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय होगा, (2) संस्था का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, (3) 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं समान कार्य का किसी संस्था से पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश। उपरोक्त में से किसी दस्तावेज के अभाव में दर नहीं खोला जावेगा।
   B वित्तीय प्रस्ताव :– ''प्रति स्वान बधियाकरण एवं टीकाकरण की दर समस्त व्ययों एवं करों सहित।''
2. आवारा स्वानों के बधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य हेतु सम्पूर्ण कार्य योजना एवं आवश्यक स्थान, की व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वानों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कर्मी एवं आवश्यक उपकरण फंदे, जाली आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा करनी होगी। नगर निगम केवल एक वाहन, चालक सहित उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था द्वारा पकड़े गये स्वानों के आपरेशन (बधियाकरण) एवं टीकाकरण के कार्य में लगने वाले सभी प्रकार के सर्जीकल उपकरण, फर्नीचर, दवाईयां, वेक्सीन एवं स्वानों के समुचित भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
5. पकड़े गये स्वानों के बधियाकरण का कार्य प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों के द्वारा कराया जावेगा तथा बधियाकरण के पूर्व एवं पश्चात् (प्री एंड पोस्ट आपरेटिव) की सभी सावधानियां एवं संक्रमण की रोकथाम के सभी उपाए संस्था द्वारा करना होगा तथा ऑपरेशन के पश्चात् स्वानों को न्यूनतम 05 दिन तक पोस्ट आपरेटिव केयर हेतु रखा जावेगा।
6. आपरेशन के जिन स्थानों/मोहल्लों से कुत्ते पकड़े जावेगे आपरेशन के पश्चात् कुत्तों को उन्हीं स्थान/मोहल्लों में वापस छोड़ना होगा तथा इस आशय का पंचनामा वार्ड के पार्षद/नागरिकों से प्राप्त करना होगा।
7. बधियाकरण किये गये स्वानों के कान पर पिले रंग टेग लगाना अनिवार्य होगा। ताकि यह पता चल सके कि इस स्वान का बधियाकरण किया जा चुका है तथा इस संस्था द्वारा प्रतिमाह कम से कम 1000 स्वानों का बधियाकरण एवं टीकाकरण का कार्य पूर्ण करना होगा।
8. स्वानों को पकड़ने एवं बधियाकरण कार्य के दौरान संस्था के कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व टेण्डर स्वीकृत संस्था का होगा। नगर निगम इस संबंध में किसी व्यय अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगी।
9. स्वानों के बधियाकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, तथा शल्य क्रिया से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां का पालन करना अनिवार्य होगा। लापरवाही पाये जाने पर भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. स्वानों के बधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य के निरीक्षण हेतु नगर निगम द्वारा टीम के निम्न सदस्य होंगे :–
    1. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
    2. स्वच्छता निरीक्षक
    3. शासकीय पशु चिकित्सक
11. संस्था द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् किये गये कार्य का देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। देयक का सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी एवं पशु चिकित्सक के द्वारा किये जाने के पश्चात् देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
12. संस्था को छ0ग0 शासन के श्रम नियमों का पालन करना होगा।
13. नागरिकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण, नगर निगम के विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।
14. नगर निगम एवं पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में किये गये बधियाकरण का जांच किया जावेगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :commissioner-rgh.cg@cg.gov.in, corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

(आवारा स्वानों के बधियाकरण हेतु नियम एवं शर्ते)

15. मेल स्वानों की अण्डाशय (टेस्टीकल) एवं फीमेल स्वानों गर्भाशय (युट्रस) को निकालने के पश्चात निपटान (डिस्पोज) करने हेतु पशु चिकित्सक एवं नगर निगम के जांच दल के उपस्थिति में किया जावेगा।
16. एक स्वान के बधियाकरण एवं एंटी रैबीज टीकाकरण हेतु 1100/– से अधिक राशि नहीं दिया जावेगा।
17. स्वान के बधियाकरण एवं एंटी रैबीज टीकाकरण लगाने पर रजिस्टर संधारित करे एवं स्वानों के फोटोग्राफ और पकडे गये मोहल्ले का नाम दर्शित करना अनिवार्य होगा।
18. उपरोक्त कंडिका 01 से 17 का एन.जी.ओ. को पालन करना अनिवार्य होगा तभी भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा एन.जी.ओ. को बधियाकरण एवं एंटी रैबीज टीकाकरण करने हेतु भुगतान नहीं किया जावेगा।
19. किसी भी विवाद एवं परिस्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)